



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

01334.244143

आयोग भवन, हरिद्वार-249404

Website : www.ukpsc.gov.in

संख्या : 111/60/01/डी0आर0(मा0शि0)/सेवा-1/2016-17

दिनांक : 14 जून, 2019

अनर्ह सूची/ज्ञाप

मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या : 428-430/2019 में पारित आदेश दिनांक 06.05.2019 के अनुपालन में उत्तराखण्ड शासन के माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत विज्ञापन संख्या: A-1/S-1/2018 दिनांक 04 सितम्बर, 2018 के माध्यम से प्रकाशित 'उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा (सामान्य शाखा तथा महिला शाखा) परीक्षा-2018' की स्क्रीनिंग परीक्षा के सापेक्ष दिनांक 16 मई, 2019 को घोषित चयन परिणाम में प्रवक्ता-अर्थशास्त्र (सामान्य शाखा) हेतु सफल घोषित निम्नांकित अभ्यर्थी को उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित कारण के आधार पर अनर्ह घोषित करते हुए मा0 आयोग द्वारा उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया है :-

क्र.सं.	अनुक्रमांक	नाम	अनर्हता का कारण
1	900596	GIRBEER SINGH	अभ्यर्थीगण द्वारा विज्ञप्ति संख्या : 80/60/01/डी.आर. (मा.शि.)/सेवा-1/2016-17 दिनांक 20 मई, 2019 के अनुपालन में ऑनलाइन आवेदन पत्र की छायाप्रति एवं अन्य शैक्षणिक अभिलेख आयोग कार्यालय को उपलब्ध कराने की अंतिम तिथि 04.06.2019 तक प्राप्त नहीं कराये गये हैं। उक्त के क्रम में अभ्यर्थीगण को विज्ञप्ति में निर्धारित शर्त को पूर्ण न करने के कारण अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित करते हुए अभ्यर्थन निरस्त।
2	901693	VANDANA PAL	
3	901757	AKANKSHA BEDWAL	
4	902448	DAMYANTI NIKHURPA	
5	902705	SEEMA	
6	902744	SHOBHA BISHT	
7	902967	KM PREMA	
8	903385	NIDHI ARORA	
9	903495	ROHIT KUMAR	
10	903596	TANVI	
11	903601	DEEPA SHARMA	
12	903724	SHUBHA TANEJA	

अनर्ह अभ्यर्थी अपनी अनर्हता के संबंध में दिनांक 28 जून 2019 (शुक्रवार) तक आयोग कार्यालय में प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त प्रत्यावेदनों पर कोई भी विचार नहीं किया जायेगा।

-Sd-
(राजेन्द्र कुमार)
सचिव।